क्रम ारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

D.P.P.H.T. अपील वाद सं0.–08/10

24.09.2010

आदेश

श्री बन्धु राम, पिता स्व0 नकु महरा, ग्राम चिनियां, थाना चिनियां की ओर से आवेदन पत्र समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके पिता के द्वारा वसीका सं0 5012 दिनांक 01.05.1970 को ग्राम चिनियां के खाता नं0 17 के अन्तर्गत प्लॉट संख्या 394 में 75 डिसमील जमीन की खरीद की गई थी। उस भूमि के एक भाग में मकान है तथा सरकारी सहायता से कुआँ बनवाया गया है।

नकु महरा द्वारा 1972 में एक डिसमील जमीन मूंगा साहु, 1.083 $(1\frac{1}{12})$ डिसमील भूमि रमेश यादव पिता सोहर यादव एवं 4 डिसमील भूमि रामवृक्ष यादव को बिक्री किया गया। शेष 68.583 डिसमील $(68\frac{7}{12})$ भूमि अबतक आवेदक एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों के कब्जे में है।

वादी गोपाल साव द्वारा 10 डिसमील जमीन का बासगीत परचा प्राप्त कर लिया गया है एवं इनके द्वारा जमीन का कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि इन्हें बासगीत परचा से संबंधित कोई कागजात उपलब्ध नहीं हो सका है। विपक्षीगण का गढ़वा में आवासीय मकान तथा जमीन है। विपक्षीगण आवेदक के जमीन पर कभी भी दखलकार नहीं हो सकते हैं। फलतः उन्होंने अनुरोध किया है कि बासगीत पर्चा नं0 117/69–70, 118/69–70 का अभिलेख मंगाकर उसे निरस्त किया जाय।

इस वाद की सुनवाई की गई तथा आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किया गया :–

- BPPHT ACT 1947 के तहत Privileged Person के अन्तर्गत महाजन एवं मालिक नहीं आते हैं तथा परचाधारी के नाम से बासगीत

परचा के अलावा 1 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए।

- श्री गोपाल साहु के नाम से चिनियां में 78 डिसमील जमीन एवं मुख्य बाजार गढ़वा में आवासीय मकान है एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 तक को चिनियाँ में 2 एकड़ 30½ डिसमील जमीन तथा मुंगा साहु के नाम से गढ़वा में दो मंजिला पक्का मकान है। इसलिए आवेदकगण Privileged Persons की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- BPPHT ACT 1947 की धारा 21 के तहत जिला अधिकारी को अभिलेख को जाँचने का अधिकार प्राप्त है।
- BPPHT ACT 1947 के तहत निर्गत परचा के अभिलेख की सत्यापित प्रति आवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। परन्तु छायाप्रति के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस जमीन का परचा निर्गत किया गया है।
- सरकारी अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया है कि BPPHT ACT 1947 की धारा 21 1989 में शामिल किया गया है। इसलिए BPPHT ACT 1947 के तहत निर्गत परचा के विरूद्ध सुनवाई संभव नहीं है एवं धारा 18 के तहत यह संपुष्ट हो चुका है। वर्त्तमान में यह कालबाधित भी हो गया है। अतः इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष: :—

BPPHT ACT 1947 की धारा 21 के अन्तर्गत जिला समाहर्त्ता को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है तथा इसमें सुनवाई के लिए समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है। फलतः इस मामले को सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाता है। संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करें तथा अंचल अधिकारी को केस नं0 117/69–70, 118/69–70 का मूल अभिलेख एवं रजिस्टर–2 भेजने हेतु नोटिस जारी करें।

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 15:52:47 +05:30
Location: 192.168.31.7

25/09/10
लेखापित एवं शुद्धित।

25/09/10
उपायुक्त,
गढ़वा।